



1-अवैध तमंचा व कारतूस सहित 01 गिरफ्तार थाना कांठ:

अवगत कराना है कि आज दिनांक 02.12.2022 को उ0नि0 श्री ललित कुमार थाना कांठ द्वारा हमराही पुलिस बल की मदद से अभियुक्त अरबाज पुत्र नब्बन निवासी ग्राम पैगम्बरपुर सुखवासी लाल थाना कांठ जिला मुरादाबाद को एक अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना कांठ पर मु0अ0सं0 433/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

2-तीन तलाक देने का आरोपी पति एवं दुष्कर्म का आरोपी देवर गिरफ्तार थाना बिलारी:

अवगत कराना है कि दिनांक 23.08.2022 को वादिनी निवासी थाना बिलारी क्षेत्रान्तर्गत ने अभियुक्त पति द्वारा वादिनी को तीन तलाक देने एवं देवर द्वारा दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में थाना बिलारी पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना बिलारी पर मु0अ0सं0 394/2022 धारा 376/377 भादवि, 3/4 मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारो की सुरक्षा अधिनियम पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में दिनांक 01.12.2022 की रात्रि में उ0नि0 राजेश पाण्डे द्वारा हमराही पुलिस बल की मदद से अभियुक्तगण 1-शमसुद्दीन(पति) पुत्र सलीम 2-जलालुद्दीन (देवर) पुत्र सलीम निवासी ग्राम केसरपुर थाना रजपुरा जनपद संभल को गिरफ्तार किया गया।

3-दहेज हत्या का आरोपी गिरफ्तार थाना बिलारी:

अवगत कराना है कि दिनांक 01.12.2022 को वादी निवासी थाना उधैती जनपद बदायूं क्षेत्रान्तर्गत ने अभियुक्त द्वारा वादी की पोती को दहेज के लिये प्रताड़ित करने एवं मांग पूरी न करने पर हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना बिलारी पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना बिलारी पर मु0अ0सं0 552/2022 धारा 498ए/304 बी भादवि व 3/4 दहेज अधि0 पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 02.12.2022 को व0उ0नि0 रामनरेश यादव द्वारा हमराही पुलिस बल की मदद से अभियुक्त राजवीर पुत्र उमराव सिंह निवासी ग्राम चांदपुर गणेश थाना बिलारी मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

4-बाल विवाह कराने का 01 और आरोपी गिरफ्तार थाना मूढापाण्डे:-

अवगत कराना है कि दिनांक 04.11.2022 को वादी निवासी थाना मूढापाण्डे क्षेत्रान्तर्गत ने अभियुक्तगण द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री का निकाह करा देना तथा अभियुक्त द्वारा उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में थाना मूढापाण्डे पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना मूढापाण्डे पर मु0अ0सं0 -329/22 धारा 376/354/114/366/370क भादवि व 3/4 व 7/8 पोक्सो एक्ट व 9/10/11 बाल विवाह निषेध अधि0 व 75 किशोर न्याय अधिनियम पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में थाना मूढापाण्डे पुलिस द्वारा 03 अभियुक्त 1-फैसल पुत्र दिलशाद निवासी ग्राम आमला घाट थाना मूढापाण्डे, मुरादाबाद 2-अमजद रजा पुत्र नन्हे हुसैन निवासी ग्राम गुलडिया थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद 3- शकील पुत्र जमील निवासी ग्राम सीकमपुर पाण्डे थाना मूढापाण्डे मुरादाबाद को पूर्व में ही गिरफ्तार कर भेजा जा चुका है। उक्त के क्रम में आज दिनांक 02.12.2022 को व0उ0नि0 श्री धर्मपाल सिंह थाना मूढापाण्डे द्वारा हमराही पुलिस बल की मदद से अभियुक्त मौ0 जान पुत्र पीरबक्श नि0ग्रा0 आंवला घाट थाना मूढापाण्डे मुरादाबाद शकील पुत्र जमील निवासी ग्राम सीकमपुर पाण्डे थाना मूढापाण्डे मुरादाबाद को अन्तर्गत धारा 114 भादवि व 10/11 बाल विवाह निषेध अधि0 व 75 किशोर न्याय अधि0 गिरफ्तार किया गया।

5-दहेज के लिये प्रताड़ित करने एवं तीन तलाक देने का आरोपी पति गिरफ्तार थाना ठाकुरद्वारा:-

अवगत कराना है कि दिनांक 30.11.2022 को वादिनी निवासी थाना ठाकुरद्वारा क्षेत्रान्तर्गत ने अभियुक्तगण द्वारा वादिनी को दहेज के लिये प्रताड़ित करने, छेड़छाड़ करने एवं पति द्वारा तीन तलाक देने के सम्बन्ध में थाना ठाकुरद्वारा पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना ठाकुरद्वारा पर मु0अ0सं0 512/2022 धारा- 498A/452/354/506 भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0 व 3/4 मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारो की सुरक्षा अधि0 पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में दिनांक 01.12.2022 को उ0नि0 श्री फूलंकवार सिंह थाना ठाकुरद्वारा द्वारा, हमराही पुलिस बल की मदद से अभियुक्त फईम पुत्र इरफान अहमद नि0 ग्राम कमालपुर खालसा थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।